

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प12(6)/वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	पद	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	श्री सुन्दरलाल कटारिया, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (RVRES), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मावली जिला उदयपुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (RVRES)	15.05.1958	31.05.2018

प्रारूप-6

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (RVRES) के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 20/2/18

क्रमांक: शिविस/मा/साप्र/बी-1/3104/2013-14/140

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उदयपुर-प्रथम/द्वितीय
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मावली जिला उदयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका


अतिरिक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर